राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन

कार्यक्रम की रूपरेखा

- दिनांक 12.04.2005 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे राष्ट्र में कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन का शुभारम्भ किया गया है। उत्तर प्रदेश में उक्त योजना का क्रियावन्यन अप्रैल, 2006 से किया जा सका।

उददेष्य

- गरीब एवं कमजोर वर्ग की जनसंख्या को प्रभावकारी, उत्तम एवं विष्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन में सम्मिलित करना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन की आवष्यकता

- विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को पूर्ण रूप से एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुच अत्यधिक सीमित होने के कारण कार्यक्रम क्रियावन्यन किया गया।

लक्ष्य

- मातृ मृत्यु अनुपात को 152 प्रति एक लाख जीवित जन्म से नीचे लाना।
- शिषु मृत्यु दर को 28 प्रति हजार जीवित जन्म से नीचे लाना।
- कुल प्रजनन दर को 2.8 तक लाना है।
- राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचार दर को 85 प्रतिषत तक पहुचाना।
- कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापकता दर को प्रति 10000 जनसंख्या में से 1 से नीचे लाना।
- अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचालित दर में कमी लाना।
- वेक्टर बार्न जैसे फलेरिया, मलेरिया डेगू, जेई आदि रोगों पर नियंत्रण प्राप्त करना।
- कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाना।

Distt. Health Indicators

S.No	Indicators	Findings	S.No	Indicators	Findings
1	Population		5	Family Planning	
	Person	30.07		CPR	52.0
	Male	16.07		TFR	4.2
	Female	14.00		Unmet Need	
				Spacing	15.5
2	Sex Ratio (AFHS- 2015-16)	952		Limiting	10.7
	AHS 2012-13	903		Total	26.2
3	MMR (per 100000 live birth)	196	6	CBR (per 1000 Population)	28.2
			7	CDR (per 1000 Population)	7.7
4	IMR (per 1000 live birth)	80	8	Population Density/Sq.km.	657 (Census 2011)

Health Facility in the Distt- Shahjahanpur

S No.	Facility	No
1	**Distt. Hospital Male**	1
2	**Distt. Hospital Female**	1
	Combined Hospital	0
3	**CHC**	17
4	**PHC**	36
5	**Sub center**	299
6	**FRU**	3
7	**24x 7 Unit**	70
8	**VHSNC**	1077
9	**RKS**	17
10	**PPC**	3
11	**Urban CHC**	0
12	**Urban PHC**	11
13	**No. of working ASHA**	2433

एन.एच.एम. के अन्तर्गत जनपद में संचालित विभिन्न कार्यक्रम

जननी सुरक्षा योजना :–मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उददेश्य से संस्थागत प्रसव कराने पर प्रत्येक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को रू0 1000 तथा रू0 1400 की धनराशि प्रदान की जाती है तथा आशा को संस्थागत प्रसव कराने एवं एम0सी0टी0एस0 वेव पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप कराने पर क्रमश रू0 300 व 300 (कुल रू0 600) की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में लक्ष्य 35776 के सापेक्ष क्रमिक उपलब्धि स्वरूप 31972 लाभार्थियों ने लाभ प्राप्त किया है, जोकि लक्ष्य का 89.37 प्रतिशत है।

- **जननी षिषु सुरक्षा कार्यक्रम :–**

सरकारी चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने पर प्रत्येक लाभार्थी को निषुल्क भोजन, उपचार, जांच एवं दवाईया उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही प्रत्येक लाभार्थी को घर से अस्पताल एव अस्पताल से घर वापस आने व जाने के लिये निःशुल्क परिवहन सुविधा 102 टोल फ्री नम्बर पर उपलब्ध है ।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मात्त्व अभियानः–**

प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक प्रत्येक जनपद व ब्लॉक स्तरीय इकाईयों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के देखरेख में निशुल्क प्रसव पूर्व गुणवत्तापरक जांच व उपचार से अच्छादित किया जाता है, इस योजना के तहत वालेनटियर निजी चिकित्सकों द्वारा भी अपना सहयोग दिया जा रहा है।

- **प्रधान मंत्री मातृ वन्दना योजनाः–**

इस योजना के तहत 1 जनवरी, 2017 से प्रथम जीवित शिशु वाली मां को क्रमश तीन किस्तों में निष्चित समयान्तराल पर रू0 1000 (पंजीकरण पर), 2000 (प्रसव पूर्व जांच पर) 2000 (बच्चे के जन्म पर प्रारम्भिक टीकों पर) कुल रू0 5000/– राज्य स्तर से लाभार्थी के खाते में भेजी जायेगी, जिसके लिये लाभार्थी प्रसव पूर्व, प्रसव पष्चात जांच तथा संस्थागत प्रसव कराना आवश्यक है।

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :–**

जन्म से 19 वर्ष की आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 से समस्त प्रदेष में संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत मोबाइल हेन्थ टीम द्वारा प्रत्येक स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य प्ररीक्षण वर्ष में 1 बार तथा आगनबाडी केन्द्रों पर वर्ष में 2 बार कर 38 रोगों को चिन्हित कर रोग से ग्रासित बच्चों का उपचार व सन्दर्भन किया जाता है। बच्चो में **4Ds (Birth Defect, Deficiency, Disease and Developmental Delays leading to disability)**की पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप

करना आर0बी0एस0के0 टीम का दायित्व है, अतः आर0बी0 एस0के0 टीम के लिय**Severe Acute Malnutrition (SAM)** बच्चों का पोषण पुनर्वास केन्द्रों में सन्दर्भन एवं भर्ती कराने के लिए भी प्रमुख उत्तरदायित्व है।

- **राष्ट्रीय किषोर स्वास्थ्य कार्यक्रम** :–

किषोर आयु वर्ग (10 से 19 वर्ष) कुल आबादी का 5वा हिस्सा है, किषोर वर्ग एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है जो देष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बदल सकते है, किषोरों की विषाल संख्या को ध्यान में रखते हुये उनके षारीरिक एवं मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय किषोर स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय इकईायो पर किषोर फ्रेन्डली हेल्थ क्लीनिक (ए0एफ0एच0सी0) के माध्यम से षहरी एवं ग्रामीण स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले, विवाहित व अविवाहित तथा कमजोर/असेवित वर्ग के किषोर किषोरियों को सेवायें प्रदान की जा रही है, इसके तहत किशोर किशोरियों के पोषण में सुधार, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, किशोरों में क्षति एवं हिन्सा में रोकथाम, नशावृति की रोकथाम तथा गैर संचारी रोगों की रोकथाम करना है।

- **विफ्सः–**

कार्यक्रम के अन्तर्गत साप्ताहित आयरन फोलिक ऐसिड पूरक कार्यक्रम में स्कूल जाने वाले व न जाने वाले किषोर किषोरियों को सप्ताहित रूप से दिया जाता है, विषेष रूप से किषोरियों हेतु माहवारी स्वच्छता योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूल जाने वाली समस्त किषोरियों हेतु निषुल्क सैनेटरी नैपकीन उपलब्ध करायी जाती है।

- **आयुष्मान भारत अभियान–**

आयुष्मान भारत अभियान के अन्तर्गत गरीब परिवारों को ट्रषियरी चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिषन के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता समाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना SECC के आधार पर की जायेगी। लक्षित परिवारों का नाम भारत सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणियों के अनुसार SECC डाटा में होना अनिवार्य है। इसके अन्तर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष :0 5-00 लाख तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। दिनांक 30-04-2018 को आयुष्मान भारत दिवस आयोजित कर एवं 1 से 7 मई, 2018 तक घर–घर जाकर डाटा कलेक्षन अभियान चलाकर लाभार्थियों का चिन्हाकन कर लिया गया है। योजना का आरम्भ 15 अगस्त, 2018 से किया जाना प्रस्तावित है। जनपद म SECC के डाटा हेतु सूचना का संकलन जनपद स्तर पर कर लिया गया है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम

- राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम :– प्रदेष में वर्तमान में अन्धता की दर आबादी का 1 प्रतिषत है। जिसको घटाकर 2020 तक 0.3 प्रतिषत लाना है, जिसके अन्तर्गत निःषुल्क मोतियाबिन्द आपरेषन, स्कूलों में नेत्र परीक्षण व चष्मों का मुफ्त वितरण तथा अन्य नेत्र रोगों के आपरेषन व इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है।

- राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम :– कुष्ठ रोग का निवारण अर्थात व्यापकता दर जनपद स्तर एवं ब्लाक स्तर पर 1 रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या लाना है। कुष्ठ रोग का उपचार एम0डी0टी0 द्वारा किया जाता है।

- पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :– इस कार्यक्रम के तहत लक्षण के आधार पर लगातार दो सप्ताह से अधिक समय से खासी आने वाले मरीजों के बलगम परीक्षण (180 प्रति लाख) कराकर क्षयरोग से ग्रसित रोगियों (167 प्रति लाख) को खोजकर, डाट्स पद्धति द्वारा कम से 88 प्रतिषत को रोगमुक्त करना है। प्रति 1 हजार की आवादी पर एक डाट्स प्रोवाईडर जो आषा या ए0एन0एम0 या आंगनबाड़ी कार्यकत्री हो सकती है। वर्ष 2013 से मल्टी ड्रग रजिस्टेन्ट (एम0डी0आर0) क्षय रोगियों का भी निषुल्क परीक्षण व इलाज की व्यवस्था है।

- वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम :–मच्छर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया व बालू मक्खी से कालाजार होता है। जिसके नियंत्रण के लिए रोगियों का सर्वेक्षण कर उनके रक्त की जॉच कर उनका उपचार किया जाता है। कीटनाषक दवाओं व एण्टी लार्वल का छिड़काव घरों व नालियों में तथा अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में फागिंग की व्यवस्था की गयी है।

आकस्मिक चिकित्सा परिवहन सेवायें (एम्बुलेन्स)

जनपद में 102 एम्बुलेंस कुल 34, 108 एम्बुलेन्स 25 हैं तथा ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स 02 हैं। जो कि 102 व 108 डायल करने पर 15 मिनट से आधे घण्टे के भीतर मरीज के घर पर अथवा घटना स्थल पर पहुॅच कर प्राथमिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हुये चिकित्सा इकाई पर आगे के इलाज हेतु मरीज को पहुॅचाने का कार्य करती है।

लेप्रोसी केस डिटेक्षन कैम्पेन–

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र की आशा परिवारों का सर्वे कर कुष्ठ रोगी की पहचान में सहायता करती है तथा सम्बन्धित इकाई पर मरीजों की सूचना, संख्या व नाम के साथ उपलब्ध कराती है ताकि रोगी का उपचार किया जा सके।

स्पर्ष कुष्ठ अभियान–

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत डैडीकेटेड टीम के द्वारा जनता के समक्ष कुष्ठ रोग के लक्षणों तथा उपचार विधियों पर जानकारी प्रदान की जाती है। समय–समय पर विभाग द्वारा इस अभियान को संचालित किया जाता है।

पुरूष नसबन्दी दिवस

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 21 तारीख को समस्त ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर पुरूष नसबन्दी दिवस का आयोजन किया जाता है। जिसमें आषा तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से पुरूषों को नसबन्दी कराये जाने हेतु जागरूक किया जाता है।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0

भ्रूण हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु 1994 में इस एक्ट को लागू किया गया ताकि गर्भस्थ षिषु यदि कन्या हो तो सामान्य तोर पर लोग इस प्रकार के गर्भ को अल्ट्रासाउण्ड से पहचान करने के उपरान्त गर्भपात न करा सकें। जनपद में वर्तमान समय में लिंगानुपात 872 है तथा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट में पंजीकृत कुल केन्द्रों की संख्या जनपद में 35 है। इनपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सलाहकार समिति का बैठक प्रत्येक माह किया जाता है।

पोषण पुर्नवास केन्द्रः–

जिला चिकित्सालय भवन में स्थापित पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्नवत् हैः–

1. पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती योग्य बच्चे को को निषुल्क भर्ती किया जाता है।
2. बच्चे के खाने की व्यवस्था चिकित्सक की सलाह के अनुसार दी जाती है जो निषुल्क है।
3. बच्चे को दी जाने वाली आवष्यक दवायें निषुल्क है।
4. भर्ती के दौरान बच्चे की मॉ को रू0 100 प्रति दिन के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5. भर्ती कराने पर बच्चे को लाने ले जाने के लिये रू0 200 दिया जाता है।
6. आशा/ऑगनवाडी यदि भर्ती होने योग्य बच्चे को साथ लाती है तो आषा/ऑगनवाडी को रू0 100 प्रतिपूर्ति राषि दी जाती है।
7. बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार फोलोअप के लिये बताये गये समय पर कम से कम 3 बार दिखाना चाहिये।
8. बच्चे को फोलोअप के लिये लाने पर मॉ को रू0 200 आने जाने के लिये तथा एक दिन का दैनिक भत्ता रू0 100 दिया जाता है।

9. फोलोअप के समय यदि आषा/ऑगनवाडी बच्चे को साथ लाती है तो उन्हें भी रू0 100 प्रतिपूर्ति राषि दी जाती है।

10. चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चे को घर ले जाने पर कोई धनराषि देय नहीं है।

11. किसी षिकायत के लिये चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 180 1900 पर अपनी षिकायत दर्ज करायें।

<u>आषा ज्योति केन्द्र</u>

1. उपरोक्त केन्द्र को वन स्टॉप सेन्टर के नाम से भी जाना जाता है।
2. महिलाओं को परिस्थति विषेष में परामर्ष देने का कार्य।
3. आवष्यकता पडने पर निषुल्क चिकित्सकीय सुविधा।
4. तत्कालिक पुलिस सहायता।
5. घटना स्थल तक पहुचने के लिये रेक्यू बैन प्रबन्ध।
6. प्राथमिकी दर्ज करने के लिये पुलिस रिर्पोटिग चौकी की व्यवस्था।
7. कानूनी सलाह के लिये विषेषज्ञ परामर्षदाता का प्रबन्ध।
8. विधवा महिला के सम्पर्क करने पर सम्बन्धित विभाग से विधवा पेन्षन बनवाये जाने में सहायता।
9. 18 वर्ष से कम आयु की बलात्कार पीडित लडकी को महिला सम्मान प्रकोष्ठ की ओर से मुआवजा दिलवाये जाने की व्यवस्था किया जाना।
10. घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, छेडछाड, दहेज उत्पीडन एवं बलात्कार इत्यादि से पीडित लडकी/महिला की सम्भव सहायता का प्रबन्ध किया जाना।
11. दम्पत्ति के मध्य वात विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उचित परामर्श का प्रबन्ध व ऐसे घरों के फॉलोअप किये जाने हेतु कर्मियों की व्यवस्था।

<u>आषा भुगतानः–</u>

आषाओं को अपेक्षित कार्य किये जाने के उपरान्त निम्न तालिका के अनुसार भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

क्र0सं0	कार्यक्रम	गतिविधियॉ	प्रतिपूर्ति राशि (रूपये में)
	1	2	3
1	**एडीशनालिटीज**	ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने	200

2	**मद (नियमित गतिविधियों)**	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रतिभाग करने	150
3		आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय	150
4		ग्राम सर्वे को अद्यतन करना	100
5		ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	100
6		टीकाकरण हेतु बच्चों का डयू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
7		ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
8		योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
9	**मातृ स्वास्थ्य**	प्रसव पूर्व देखभाल हेतु	300
10		संस्थागत प्रसव में सहायता	300
11		मातृ मृत्यु की सूचना	200
12	**परिवार कल्याण**	दो बच्चों के पश्चात् स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	1000
13		शादी के पश्चात् 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500
14		प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500
15		लाभार्थी को PPIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें/सहयोग करनें पर	150
16	**परिवार कल्याण (सुरक्षित गर्भपात सेवाएं)**	महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं को सुनिश्चित करानें पर (प्रति केस)	150
17		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त तीन बार फॉलोअप करना (प्रति केस)	225
18	**बाल स्वास्थ्य**	गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत, मॉड्यूल 6–7 व CCSP में प्रशिक्षित आशाओं हेतु	250
19		SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन करनें पर (प्रति बच्चा)	50
20		SAM बच्चों को NRC से छुटटी होनें के पश्चात 4 फॉलोंअप करनें पर (प्रति बच्चा)	100
21	**टीकाकरण**	टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करनें हेंतु (प्रति सत्र)	150
22		0–1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	100
23		1–2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	50
24	**आर0के0एस0के0**	पियर एजुकेटर	50
25		किशोरियों को प्रेरित करने हेतु (AHD) पर	200
26	**अन्य**		

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानः–

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत माह की प्रत्येक 09 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर गर्भवती महिलाओं की निशुल्क विशेष जांच की जाती है, जिसके अन्तर्गत वॉलेन्टियर के रूप में निजी चिकित्सकों द्वारा इकाईयों पर विशेष सहयोग प्रदान किया जाता है।

मिषन इन्द्रधुनषः–

उपरोक्त अभियान के अन्तर्गत विशेष रूप से टीकाकरण से वंचित बच्चों का आशा द्वारा सर्वे कार्य किया जाता है तथा सघन टीकाकरण कार्यक्रम चलाकर ऐसे बच्चों को 09 जानलेवा बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षित किया जाता है। जिसका पर्यवेक्षण स्वास्थ्य विभाग व सहयोगी हेल्थ पार्टनर द्वारा सघन रूप से किया जाता है।

योजना का लाभ प्राप्त करने अथवा अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लाक से सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों से नीचे दिये गये नम्बरों पर सम्पर्क करें।

क्र0सं0	नाम	पदनाम व तैनाती स्थल	सी0यू0जी0 नंम्बर	मोबाइल नम्बर
1	डा0 मो0 आसिफ	**अधीक्षक, सा0 स्वा0 केन्द्र पुवायॉ**	**7839819758**	**9557989517**
2	डा0 रिजवान	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र–बण्डा	**7839819747**	**9795338288**
3	**डा0 संदीप वर्मा**	**चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र–खुटार**	**7839819755**	**9415928320**
4	**डा0 लईक अंसारी**	**प्र0चि0अ0, सा0 स्वा0 केन्द्र सिधौली**	**7839819759**	**9837575106**
5	**डा0 मनोज मिश्रा**	**का0 अधीक्षक,सा0स्वा0केन्द्र–तिलहर**	**7839819760**	**9897604304**
6	डा0 नरेन्द्र पाल	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सा0स्वा0केन्द्र–निगोही	**7839819757**	**6390191507**
7	डा0 ज्ञानेन्द्र कुमार	**चिकि0अधीक्षक, सा0 स्वा0 केन्द्र जलालाबाद**	**7839819751**	**8004737698**
8	डा0 इरफान अली खॉ	**प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र–खुदागंज**	**7839819754**	**9759078692**
9	डा0 राजीव भारती	**प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र–मदनापुर**		**8576808281**
10	**डा0 अम्बरीश कुमार**	**प्र0चि0अ0 सा0स्वा0केन्द्र–भावलखेड़ा**	**7839819748**	**8447407404**
11	डा0 जितेन्द्र सिंह	**प्र0चि0अ0, सा0 स्वा0 केन्द्र जैतीपुर**	**7839819750**	**9410801798**
12	**डा0 पुष्पेन्द्र कुमार**	**प्र0चि0अ0, सा0 स्वा0 केन्द्र कॉठ**	**7839819753**	**7897244976**
13	डा0 अनुभव कुमार	**प्र0चि0अ0, सा0 स्वा0 केन्द्र ददरौल**	**7839819749**	**9919814632**
14	**डा0 नवीन भारती**	**प्र0चि0अ0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र मिर्जापुर**	**7839819756**	**8052654230**
15	**डा0 आर्येन्द्र कुमार**	**प्र0चि0अ0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र कलान**	**7839819752**	**9412335252**